



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24112020-223282
CG-DL-E-24112020-223282

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3697]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 23, 2020/अग्रहायण 2, 1942

No. 3697]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 23, 2020/AGRAHAYANA 2, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2020

का.आ. 4199(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट भूमि के खण्ड के सम्बन्ध में बिहार राज्य के वैशाली जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 103 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग 322) के (पासवान चौक- मुसरीघरारी सेक्शन) के जन्दाहा अंचल अन्तर्गत जन्दाहा बाजार बाईपास (2 लेन पेव्ड सोलडर सहित) सड़क निर्माण हेतु कि.मी. 29.900 से कि.मी. 34.400 तक के निर्माण (2 लेन पेव्ड सोलडर सहित), अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

बिहार राज्य के वैशाली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 103 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग 322) (पासवान चौक-मुसरीघरारी सेक्शन) के जन्दाहा अंचल अन्तर्गत जन्दाहा बाजार बाईपास सड़क निर्माण (2 लेन पेण्ड सोलडर सहित) हेतु कि.मी. 29.900 से कि.मी. 34.400 तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित ग्रामों का संक्षिप्त विवरण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला भू - अर्जन पदाधिकारी, वैशाली	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH103 के कि.मी. 29.9 से 34.4 तक	बिहार	वैशाली	जंदाहा	1 ससतौल उर्फ सिसवन 2 सैदमोहम्मदपुर ,थाना न0 - ६०३ 3 झम्मनगंज उर्फ सरायशेख आलम ,थाना न0 - ६२२ 4 सरायशेख आलम ,थाना न0 - ६२३ 5 हजरतजनदाहा ,थाना न0 - ६२४ 6 अरनिया ,थाना न0 - ६२५ 7 चांद सराय ,थाना न0 - ६२६
					महनार	1 महिंदवारा

[फा. सं. RW/PAT/NH 103/ JANDAHA BAZAR BYPASS /2020]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2020

S.O. 4199(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for building (up-gradation/ two lane with paved shoulders, etc.), maintenance management and operation from km 29.900 to Km 34.400 of Vaishali District in the Stretch of National Highway No.-103 (New NH-322) (**Paswan Chowk- Musrigharari Section**), for construction of Jandaha Bazar bypass in the state of Bihar as specified in the schedule given below:-

SCHEDULE

Acquisition of land for construction of Jandaha Bazar By-pass from km 29.900 to 34.400 at Jandaha Circle of Vaishali District in the Stretch of NH 103 (New No- NH 322) (Section Paswan Chowk to Musharigarari)

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Land Aquisition Officer ,Vaishali	29.9KM To 34.4KM	BIHAR	VAISHALI	Jandaha	1 Sastaul Urf Siswan 2 Saidmohmmadpur , Thana No. - 603 3 Jhammanganj urf SaraySekh Aalam , Thana No. - 622 4 SaraySekh Aalam , Thana No. - 623 5 HajratJandaha , Thana No. - 624 6 Arniya , Thana No. - 625 7 Chand Saray , Thana No. - 626
					Mahnar	1 Mahindvara

[F. No. RW/PAT/NH 103/ JANDAHA BAZAR BYPASS /2020]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.